बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 78 / आवंटन / पटना, दिनांक 3.1.19

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 29 / 2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103– हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0113–शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड 23-2851.00.103.0113 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 31 04–सहायक अनुदान वेतन, 31 05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं 31 06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कुल रू0 7,00,00,000/- (सात करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विषय शीर्ष 31 04–सहायक अनुदान वेतन, 31 05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं 31 06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 **7,00,00,000/- (सात करोड़)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103– हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0113–शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड 23-2851.00.103.0113 से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :–

क्रमांक	विषय शीर्ष (मद)	आवंटित राशि (रू0)
1	0113.31.04–सहायक अनुदान वेतन	1,00,00,000
2	0113.31.05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण	2,50,00,000
3	0113.31.06– सहायक अनुदान गैर वेतन	3,50,00,000
4	**योग**	**7,00,00,000**
	कुल योग :– सात करोड़ रूपये मात्र।	

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय ज्ञापांक 4793, दिनांक 31.12.2018 (विभागीय शुद्धि–पत्र ज्ञापांक 03, दिनांक 01.01.2019 द्वारा अल्पसंशोधित) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इसके साथ संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार ही विभिन्न मदों में राशि का व्यय किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

कृ0 पृ0 उ0

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

3/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 78/उ0नि0/ पटना, दिनांक 3.1.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 79/उ0नि0/ पटना, दिनांक 3.1.19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

3/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।